न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 6, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- सीताराम मीना, आर.जे.एस.(डी०जे० कैडर)

1. विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 02/2026
सीआईएस संख्या :- 739/2026

निहाल सिंह चौधरी पुत्र श्री घोडयाराम चौधरी, उम्र 36 साल, निवासी गोरधनपुरा, थाना राजगढ़, जिला अलवर

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

2. विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या :- 03/2026
सीआईएस संख्या :- 740/2026

कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, उम्र 36 साल, निवासी सांथल्का, थाना यूआईटी सेक्टर 3, भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S.

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 14/2026-2027 पुलिस थाना आबकारी थाना, अलवर पूर्व अपराध अंतर्गत धारा 16/54, 19/54, 54 ए, 58 सी राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थिति -

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र सिंह नरूका।
2. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक।

आदेश दिनांकः- 09-06-2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निहाल सिंह व कृष्ण कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत के पृथक-पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 B.N.S.S. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर में प्रस्तुत किये गये, जो विधिवत निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किये गये। जमानत आवेदन पत्र की नकलें अपर लोक अभियोजक को दिलाई गयी। केस डायरी प्राप्त हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। चूंकि दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही एफआईआर से संबंधित है। अतः दोनों का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 03.06.2026 को प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल अलवर पूर्व बहमराह श्री सत्यनारायण जमादार ईपीएफ अलवर पश्चिम व श्री ताराचन्द सिपाही आबकारी निरोधक दल, अलवर पश्चिम एव श्रीमती अर्चना जैमन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलवर व उच्चाधिकारियों के साथ दौराने रैड गश्त श्रीमती अर्चना जैमन जिला आबकारी अधिकारी जिला अलवर को मुखबीर द्वारा मिली मौखिक गुप्त सूचना पर रूबरू गवाहान के अजन्ता कैमिकल्स इण्डिया लि० 120 एमआईए अलवर परिसर के गेट के बाहर से अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगत सिंह जाति गुर्जर आयु 36 वर्ष निवासी सांथल्का पुलिस थाना यूआईटी सेक्टर 03, भिवाडी जिला खैरथल तिजारा व अभियुक्त सुबोध कुमार बोस पुत्र श्री पशुपति बोस जाति कायस्थ आयु 46 वर्ष निवासी डी-01/75A, FF फ्लैट नं0 201, मनसापार्क, उत्तमनगर वेस्ट दिल्ली पुलिस थाना बिन्दापुरा, नई दिल्ली हाल मैनेजर मैसर्स अजन्ता कैमिकल कम्पनी, एमआईए पुलिस थाना एमआईए जिला अलवर व अभियुक्त निहाल सिंह पुत्र श्री घोड्याराम जाति जाट आयु 36 वर्ष निवासी गोरधनपुरा पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर के बाकब्जे से एक बोलरो पिकअप रजि० नम्बर HR-47-F7165 मे रखी 220 गत्ता पेटीयो मे प्रत्येक गत्ता पेटी में रखे 44 44 पव्वे कुल 9680 पव्वे राईडर (RML) क्लासिक व्हिस्की शराब 180 एमएल 25 यूपी के फॉर सेल इन राजस्थान के कम्पनी सीलबन्द भरे बरामद

हुए.....आदि। उक्त रिपोर्ट पर थाना आबकारी, अलवर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 14/2026 अपराध अन्तर्गत धारा अपराध अंतर्गत धारा 16/54, 19/54, 54ए, 58सी राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थी/अभियुक्तगण को दिनांक 03-06-2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का धारा 480 B.N.S.S. का जमानत आवेदन विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 06-06-2026 को निरस्त किया गया है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है, यदि कोई बरामदगी बतायी गयी है तो वह गलत रूप से बतायी गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में जब्तशुदा शराब राजस्थान निर्मित ब्रिक्री योग्य शराब थी, जो एक्सार्इज ड्यूटी व सरर्चाज सहित डिलीवरी होनी थी, जिससे किसी प्रकार से राजस्व का नुकसान नहीं है। साथ ही उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में इंपैक्ट 8 ग्रीन प्रीमियम व्हिस्की डिलिवर होनी थी, जो फैक्ट्री में रखी हुई थी, लेकिन गलती से उक्त शराब के स्थान पर राईडर (आर.एम.सी.) क्लासिक की शराब को वाहन में लोड कर दिया गया था। अधिवक्ता अभियुक्त/प्रार्थी कृष्ण कुमार की ओर से यह भी तर्क रहा है कि उक्त अभियुक्त ड्राइवर पेशे का व्यक्ति है, जिसका माल लॉडिंग अनलॉडिंग से कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त निहाल सिंह की ओर से भी यह तर्क रहा है कि उक्त अभियुक्त मजदूर के तौर पर कार्य करता है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसे शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। उनकी ओर से अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया है जो निम्न हैः- लालूराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एस०बी० क्रि०मि० बेल पीटि० नं० 355, 358 आॅफ 1998, फैसल दिनांकित 07-02-1998 है।

4. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया गया व केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के आपराधिक रिकार्ड बाबत माननीय राज०उच्च० न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना में पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निल होना जाहिर किया है।

6. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया, केस डायरी का अवलोकन किया गया आैर अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7. मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्तगण के व्यक्तिगत कब्जे से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बोलेरो पिकअप में रखी हुई कुल 220 गत्ता कार्टूनों में 9680 पव्वे राइडर क्लासिक व्हिस्की के बिना होलोग्राम के बरामद करना बताया गया है। प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार उक्त जब्तशुदा वाहन का चालक होने तथा प्रार्थी/अभियुक्त निहालसिंह पर उक्त वाहन में शराब लोड करवाने का आरोप है। प्रकरण में बरामद शराब राइडर क्लासिक व्हिस्की को उक्त वाहन में परिवहन करने व ले जाने बाबत कोई अनुज्ञप्ति/बिल्टी होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जो बिल्टी पेश की गयी है, वह अन्य ब्रांड की शराब इंपेक्ट 8 ग्रीन व्हिस्की शराब की पेश की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के कब्जे से प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में भारी मात्रा में कुल 220 गत्ता पेटियों में 9680 पव्वे शराब के बरामद किये गये हैं।

8. जहां तक अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार चालक है तथा निहाल सिंह मजदूर के तौर पर कार्य कर रहा था आैर उन्हें वाहन में अवैध शराब लोड कर परिवहन करने के बारे में जानकारी नहीं थी तो इस संबंध में प्रकरण के अन्य सह अभियुक्त सुबोध

कुमार बोस के पूछताछ नोट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार के कहने पर ही बिना होलोग्राम की शराब सरकारी स्पिरिट से तैयार करवाकर भिजवाने तथा उक्त शराब बनवाने में प्रार्थी/अभियुक्त निहाल सिंह द्वारा मदद करने के तथ्य अंकित किये गये हैं। इस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उद्दत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत लालूराम बनाम राज० राज्य के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के ड्राइवर तथा खलासी का मामला अन्य सहअभियुक्तगण से भिन्न होने के आधार पर जमानत का लाभ दिया गया था, लेकिन हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्त सुबोध कुमार द्वारा पूछताछ नोट में अंकित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/ अभियुक्तगण को तथ्यों व परिस्थितियों की भिन्नता के कारण उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

9. ऐसे में हस्तगत प्रकरण में भी अभियुक्तगण से जब्तशुदा अवैध शराब की मात्रा अत्यधिक है तथा वर्तमान समय में अवैध शराब बिक्री के मामलों में बढोतरी होने से युवाओं में नशे करने की लत बढ़ती जा रही है, जिससे समाज में कुत्सिक मानसिकता, भय व असुरक्षा का वातावरण पैदा हो रहा है। साथ ही राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है।

10. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण संख्या 1 निहाल सिंह चौधरी पुत्र श्री घोडयाराम चौधरी, उम्र 36 साल, निवासी गोरधनपुरा, थाना राजगढ़, जिला अलवर, 2. कृष्ण कुमार पुत्र श्री जगत सिंह, उम्र 36 साल, निवासी सांथल्का, थाना यूआईटी सेक्टर 3, भिवाड़ी, जिला खैरथल-तिजारा की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 B.N.S.S. अस्वीकार किये जाकर खारिज किये जाते हैं।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर

12. आदेश आज दिनांक 09-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सीताराम मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश सं.6,
अलवर